

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 2018

विषय :- मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग (एस०एच०-84) किमी० चैनैज 21.000 से 43.800 एवं धिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी० कुल 25.66 किमी० लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

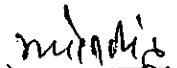
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/26/2018/एफसी/260 दिनांक 10.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण को क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 08.06.2018 में सम्मिलित किया गया था। उक्त बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएँ एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 11.07.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।